फर्द अहकाम

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

भारतीय स्टेट बैंक, शाखा – SARB जवाहर नगर, जयपुर जिला जयपुर

–प्रार्थी / सिक्योर कैडिटर

बनाम

श्री घनश्याम सिंह राठौड पुत्र श्री जवाहर सिंह राठौड, ग्राम पुठिया, पो. पढसाली, तहसील व जिला – राजसमन्द(राज.)

–ऋणी / अप्रार्थी

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 52 / 2021**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 07.12.2021 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा – SARB जवाहर नगर, जयपुर जिला जयपुर ने दिनांकः 29.10.2021 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। बैंक ने श्री घनश्याम सिंह राठौड पुत्र श्री जवाहर सिंह राठौड को दिनांक 13.02.2014 व 23.05.2014 को कुल रूपये 6,10,000 / – व 1600000 / – अक्षरे छः लाख दस हजार मात्र व सोलह लाख मात्र का ऋण स्वीकृति किया था इस हेतु ऋणी / जमानती ने बंधक विलेख व आवश्यक दस्तावेज दिनांक 13.02.2014 व 23.05.2014 को निष्पादित किये थे। उक्त ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभुति करार के अर्न्तगत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित हैं– (1) Hyundai Grand I 10 AST, REG. NO. RJ30 CA 4557 (2) TATA TIPP ON TRUCK, REG. NO. RJ30 GA 6771 हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करके परिसम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से सम्यक / दृष्टिबंधक किया हैं। प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चुक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तो के अनुसार देय हैं। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने मे असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक के द्वारा दिनांक 04.01.2017 को नियमानुसार अनर्जक परिसम्पति (NPA) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने दिनांक 23.08.2021 को मांग नोटिस वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेज करके 60 दिन मे ऋण राशि रूपये 13,82,435 / – अक्षरे तेरह लाख बियासी हजार चार सौ पैंतिस मात्र तथा इसके आगे का ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने के लिए मांग की। बैंक को दिनांक 13.08.2021 को रूपये 13,82,435 / – अक्षरे तेरह लाख बियासी हजार चार सौ पैंतिस मात्र तथा इसके आगे का ब्याज व खर्चे अतिरिक्त ऋणी / जमानती से लेना हैं। बकाया राशि को वसूल करने के लिए बैंक को गिरवीकृत चल सम्पत्ति (1) Hyundai Grand I 10 AST, REG. NO. RJ30 CA 4557 (2) TATA TIPP ON TRUCK, REG. NO. RJ30 GA 6771 का कब्जा लेकर बिक्री करनी हैं। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रतिभुत आस्ति	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

को अपने कब्जे या नियत्रंण मे लेकर प्रतिभूति लेनदार (बैंक) को सुपुर्द करने का अधिकार प्राप्त है। सम्पति का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करना अति आवश्यक है। गिरवीकृत सम्पत्ति जो कि आपके क्षेत्राधिकार मे है, जिसका विवरण निम्न है – (1) Hyundai Grand I 10 AST, REG. NO. RJ30 CA 4557 (2) TATA TIPP ON TRUCK, REG. NO. RJ30 GA 6771 उपरोक्त सम्पत्तियों पर उक्त कार्यवाही करने के लिए किसी न्यायालय/अधिकरण के द्वारा कोई रोक नहीं है।

मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 04.10.2016 सिविल रिट पिटिशन नं0 6256/2016 कि धारा 14 के प्रावधानों के तहत यह आदेश एकपक्षीय सुनवाई कर जारी किया जा सकता हैं विपक्षी को उक्त मामले में सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने की कानूनन कोई आवश्यकता नहीं हैं।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 23.08.2021 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को तामिल की प्रति पेश की गयी।

आवेदक बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा – SARB जवाहर नगर, जयपुर जिला जयपुर द्वारा श्री घनश्याम सिंह राठौड पुत्र श्री जवाहर सिंह राठौड को राशि रूपये 6,10,000/– व 1600000/– अक्षरे छः लाख दस हजार मात्र व सोलह लाख मात्र का ऋण स्वीकृति किया था तथा बैंक को दिनांक 13.08.2021 को रूपये 13,82,435/– अक्षरे तेरह लाख बियासी हजार चार सौ पैंतिस मात्र तथा इसके आगे का ब्याज व खर्चे अतिरिक्त ऋणी/जमानती से लेना हैं। ऋणी/जमानतदार ने गिरवीकृत सम्पत्ति, जिसका विवरण निम्न है – (1) Hyundai Grand I 10 AST, REG. NO. RJ30 CA 4557 (2) TATA TIPP ON TRUCK, REG. NO. RJ30 GA 6771 पर प्रतिभूति हित सृजित किया है।

उपरोक्त परिसम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त परिसम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा – SARB जवाहर नगर, जयपुर जिला जयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा – SARB जवाहर नगर, जयपुर जिला जयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द